न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी— उज्ज्वल राठौड़, I.A.S.

अपील संख्या—13 / 2021 (सू0 का अधि0)

श्री दिनेशचन्द कालोत पुत्र श्री भोरीलाल निवासी शिव मन्दिर के पास बापू कॉलोनी कोटा जंक्शन कोटा (राज0)

—अपीलार्थीया

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, एवं जिला रसद अधिकारी कोटा

—प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 25 / 08 / 2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री दिनेशचन्द कालोत पुत्र श्री भोरीलाल निवासी शिव मन्दिर के पास बापू कॉलोनी कोटा जंक्शन कोटा ने दिनांक 06.04.2021 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी कोटा के यहाँ एक प्रार्थना पत्र पेश कर निम्न सूचना चाही गयी है —

1. स्व0 रमेशचन्द्र पुत्र स्व0 भोरीलाल राशनकार्ड सं0 028184 नगर निगम कोटा वार्ड नं0 42 पता शिव मन्दिर के पास बापू कॉलोनी कोटा 324002 उचित मूल्य की दुकान नम्बर 245 का वर्तमान राशन कार्ड की प्रति ।
2. उक्त के वर्तमान राशन कार्ड सं0 02818 हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात मे पुराने राशन कार्ड की प्रतियां
3. स्व0 रमेशचन्द्र की मृत्यु दिनांक 18.9.2019 के पश्चात उक्त राशन कार्ड के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रतियां ।

उपरोक्त सूचना समय पर नहीं मिलने के कारण प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 15.07.2021 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 20.07.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अपील के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी कोटा से प्रकरण के सम्बन्ध में वांछित टिप्पणी एवं रेकार्ड तलब किया गया । अपीलांट को भी सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किया गया किन्तु अपीलान्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा अपने पत्रांक / रसद / रा.का. / 2021 / 151 दिनांक 17.08.2021 से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चाही गई सूचना तृतीय पक्षकार से सम्बन्धित होने के कारण श्रीमति रूकमणी देवी

जिला कलेक्टर
कोटा

पत्नि स्व. श्री रमेशचन्द पुत्र भौरीलाल सूचना देने बाबत सहमति /असहमति 07 दिवस में देने हेतु इस कार्यालय के पत्र कमांक/रसद/आरटीआई/2021/7 दिनांक 3.5.2021 से लिखा गया । नियत समय में श्रीमति रूकमणी देवी पत्नि स्व. श्री रमेशचन्द पुत्र भौरीलाल सहमति / असहमति प्राप्त नहीं होने पर इसे तृतीय पक्षकार की मौन स्वीकृति मानते हुए अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जाने का निर्णय लिया गया तथा अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र कमांक/रसद/आरटीआई/2021/24 दिनांक 15.6.2021 से निर्धारित शुल्क 2/– प्रति पेज की दर से 16 रूपये जमा कराने हेतु लिखा गया । अपीलार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जरिये जीए–55 नं0 419036 /00003 दिनांक 16.6.2021 से राजकोष में जमा करवाए जाने पर उसी दिन अपीलार्थी को बिन्दु सं0 1 व 3 की सूचना उपलब्ध करा दी गई । अपीलार्थी ने बिन्दु सं. 2 में वर्तमान राशनकार्ड सं0 02818 हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र व उसके साथ संलग्न दस्तावेज की प्रतियां चाही गई । खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राज. जयपुर के आदेश कमांक/ एफ 97(6) /खा.वि./सा.वि.प्र./2010–11 के अन्तर्गत डिजिटल राशन कार्ड बनाने का कार्य Gujrat Infotech limited कम्पनी द्वारा किया गया था । उक्त कम्पनी द्वारा राशनकार्ड आवेदन पत्र सम्बन्धी रिकॉर्ड इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया । ऐसी स्थिति में राशनकार्ड आवेदन सम्बन्धी मूल रिकार्ड इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलार्थी को यह सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गयी ।

हमने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी कोटा से प्राप्त वांछित टिप्पणी एवं पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत अपील मेमों का अवलोकन किया जिस अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना में बिन्दु सं0 1 व 3 की सूचना प्रार्थी अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा अपने पत्रांक/25 दिनांक 16.06.2021 से उपलब्ध कराई जा चुकी है किन्तु बिन्दु संख्या 2 की सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई जिसकी भी सूचना प्रार्थी अपीलार्थी को दी जा चुकी है ।

परिणामतः प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना बिन्दु सं0 1 व 3 की दी जा चुकी है, बिन्दु सं0 2 के सम्बन्ध में सम्बन्धित कम्पनी से रेकार्ड प्राप्त होने पर प्रार्थी अपीलार्थी को वांछित सूचना दी जावें । अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को लिखाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
अपील अधिकारी एवं
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा